

फर्द अहकाम

बनाम _____

ख्या / वर्ष

: _____ /20 _____

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
18/12/23	<p>पश्चावली आज सिड्डी वदी वरील ठाय विडो डा.पत्र पेश दोने व रावे की पश्चावली के लाव पेश दुई। वकील जार्जी व स्वयं जार्जी उप। वकील दावा विडो दोने तथा वकील जार्जी उप। डा.पत्र अस्थापी निषेधाज्ञा का विडो हेतु कहे जाने पर डा. पत्र अस्थापी निषेधाज्ञा का विडो (कारिज) किया जाता है। डा. पत्र अस्थापी निषेधाज्ञा कारिज दोने ले न्यायालय अदालत का स्वजन आदेश दिनांक 16/12/21 का प्रकाशनी होगी। पश्चावली वादतुमील राखिल दफ्तर दो।</p> <p>(17) उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, काकसू (अ. 3)</p>	